न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– जितेन्द्र कुमार पाण्डे, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 129 / 2015

तारीख दायरा–23.11.2015

तारीख निर्णय–11.04.2019

1. श्रीमती गीताबाई पत्नी घासीराम ब्राहमण निवासी ओबराखुर्द तहसील गोगुन्दा।

.......वादीया

बनाम

1. श्री नाथु पिता भजा डांगी निवासी ओबराखुर्द तहसील गोगुन्दा।
2. श्रीमती देउबाई बेवा गंगा डांगी निवासी ओबराखुर्द तहसील गोगुन्दा।
3. श्री हीरा पिता रता डांगी निवासी ओबराखुर्द तहसील गोगुन्दा।
4. श्री डालु पिता रता डांगी निवासी ओबराखुर्द तहसील गोगुन्दा।
5. श्री गोविन्दा पिता रता डांगी निवासी ओबराखुर्द तहसील गोगुन्दा।
6. श्री देवेन्द्र कुमार पिता भंवरलाल मेहता महाजन निवासी पलटन मज्जीद के सामने नेशनल प्रिन्टींग के पास चेतक सर्कल उदयपुर।
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

...........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री चेतन वैष्णव

प्रतिवादी की ओर से– कए तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा ओबराखुर्द तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 के खाता संख्या 148 में वर्णित आराजियात किता 02 कुल रकबा 0.0750 है0 एवं खाता संख्या 154 में वर्णित आराजियात किता 12 कुल रकबा 2.0300 है0 भूमि स्थित है, जो वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है। खाता संख्या 148 में वर्णित आराजियात में वादीया का 1/3 हिस्सा एवं खाता संख्या 154 में वर्णित आराजियात में वादीया का 1/9 हिस्सा निहित है। वादीया एवं प्रतिवादीगण हिस्से अनुसार मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, परन्तु भूमि का विधिक बंटवाडा नही होने से एवं उक्त भूमि वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते में होने वादीया अपने हिस्से की भूमि का विकास भी नही कर पा रही है। प्रतिवादीगण को कई बार उक्त आराजी के हिस्से अनुसार कानूनी बंटवाडा कराने हेतु कहा, लेकिन प्रतिवादीगण ने कोई तत्परता नही की है एवं विभाजन के लिये तैयार नही है। इसलिये वादीया को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना पड़ा। अतः निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कराया जाकर भूमि अलग–अलग खाते दर्ज कराई जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 11.08.2016 को वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का खातेदारान के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्ड़ल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बंटबाड़ा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी पक्षकारान को लगभग–लगभग बराबर–बराबर दी गई है, जिससे पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नही है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा ओबराखुर्द की आराजी नम्बर 3143 रकबा 0.0750, 3137 रकबा 0.1750 किता 02 कुल रकबा 0.2500 है0 भूमि का श्रीमती गीताबाई पत्नी घासीराम ब्राहमण, आराजी नम्बर 3142 रकबा 0.0700, 3144 रकबा 0.0900, 3138 रकबा 0.1400, 3145 रकबा 0.0400 किता 04 कुल रकबा 0.3400 है0 भूमि का नाथु पिता भजा डांगी को, आराजी नम्बर 3119 रकबा 0.0300, 3120 रकबा 0.0450 किता कुल रकबा 0. 0750 है0 भूमि का श्री नाथु पिता भजा 1/2 देउबाई बेवा गांगा 1/2 को, आराजी नम्बर 3137/1 रकबा 0.3800, 3139 रकबा 0.1200, 3140 रकबा 0.5750, 3141 रकबा 0.1350, 3144/1 रकबा 0.0800, 3146 रकबा 0.0500, 3147 रकबा 0.0850 किता 07 कुल रकबा

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

1.4350 है0 भूमि का श्री हीरा, डालु पिता रता 10150/14350, देउबाई बेवा गांगा 850/14350, कुसम्बी बाई बेवा मगनलाल 3350/14350 एवं आराजी नम्बर 3110 रकबा 0.0150 है0 भूमि का नाथु पिता भजा 1/6, देउबाई बेवा गांगा 1/18, हीरा, डालु पिता रता 1/2, कुसम्बी बाई बेवा मगनलाल 1/6, गीता पत्नी घासीराम 1/9 को खातेदार काश्त का घोषित किया जाता है। एतद्नुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Pandey
Date: 2019.07.11 16:17:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: